प्रेषक,

इन्द्रजीत सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **प्रबन्ध निदेशक,** उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. **निदेशक,** विद्युत सुरक्षा, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 13-03-2026**

विषय: उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022) के प्रस्तर-5.6 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परियोजनाओं को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग- 1 के शासनादेश दिनांक 18.11.2022 द्वारा उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022) का प्रख्यापन किया गया है।

2- उक्त नीति में ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित प्रस्तर निम्नवत है:-

<u>5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट</u>

निवेशकों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट की अनुमन्यता निम्नानुसार 10 वर्षों के लिए होगी:-

(i) पश्चिमांचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 50 प्रतिशत

(ii) मध्यांचल में परिचालनरत इकाईयों हेतु 75 प्रतिशत

(iii) पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड में परिचालनरत इकाईयों हेतु 100 प्रतिशत

संशोधित दरें इस संशोधन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्वीकृत नए निवेश प्रस्तावों पर लागू होंगे। पूर्व स्वीकृत निवेश प्रस्तावों पर पूर्व में अनुमन्य 50 प्रतिशत की दर ही लागू होगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ 0प्र0 विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा-4 में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 (प्रथम संशोधन 2022) के प्रस्तर-5.6 के अनुसार पात्र समस्त परियोजनाओं/इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- कोई इकाई ई0एस0डी0एम0 ईकाई या फैब ईकाई है इसका व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट की अनुमन्यता का उल्लेख आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी लेटर आफ कर्म्फट अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए उक्त सुविधा को पोर्टल पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इन्द्रजीत सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0।

3- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन।

4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/मध्यान्चल/दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को, कानपुर।

6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।

7- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

अनु सचिव।

Digitally signed by
INDERJIT SINGH
Date: 13-03-2026
12:05:43